कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 2505 /11–सी–FP/UP/TRANS/148929//2021, लखनऊ, दिनांकः मार्च 02 ,2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
मुरारादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।

विषयः– जनपद अमरोहा में हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की सीमा के अन्तर्गत विद्युत पारेषण खण्ड हापुड़ वन में 0.00 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं अमरोहा द्वारा 220 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.07 हे0 सर्रक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 06 वृक्षों तथा गैर वनभूमि पर स्थिति 12 वृक्ष अर्थात कुल 18 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव FP/UP/TRANS/148929//2021

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–2649/14–1, दिनांक 25.02.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का आभाव पाया गया:–

1– प्रस्ताव के साथ प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न नहीं है। अतः ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम एवं सारांश सहित सूची संलग्न करें।

2– प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (मुख्यतः औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षण सहित प्राक्लन संलग्न नहीं है। अतः बौने (मुख्यतः औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षण सहित प्राक्लन संलग्न करें।

3– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित व चिन्हित 1.50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न है किन्तु टोपोशीट मूल में सूक्ष्म है। अतः प्रस्तावित वनभूमि की टोपोशीट मूल में फुल साइज की प्रस्ताव में संलग्न करें।

4– गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न की गयी है। अतः मार्ग चिन्हित कर सत्यापित गजट नोटिफिकेशन प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

5– प्रस्ताव के साथ पेनड्राईव में प्रमाण पत्र/वचनबद्धता प्रमाण पत्र अलग–अलग अपलोड किये गये है जो सही नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्रों/वचनबद्धता प्रमाण पत्रों को प्रस्ताव के साथ संलग्न कर विषयसूची सहित प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक एक ही फोल्डर में PDF फाईल अपलोड कर तीनों प्रस्ताव के साथ पेन ड्राईव संलग्न करें।

उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए सशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वनसरंक्षक/नोडलअधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 2505 /11–सी– FP/UP/TRANS/148929//2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।

2– प्रभागीय निदेशक, अमरोहा एवं हापुड़।

3– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड–अमरोहा, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि0, अमरोहा।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वनसरंक्षक/नोडलअधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।